# न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

## पीठासीन अधिकारी– मुकेश कुमार कलाल (आर.ए.एस.)

| प्रकरण संख्या | दायर दिनांक | निर्णय दिनांक |
|---|---|---|
| 035/2015 (GCMS 2015/00061) | 21.08.2015 | 16.10.2020 |

**अनवान**

विकास अधिकारी, पंचायत समिति राशमी जिला चित्तौड़गढ़।

**निगराकार**

**बनाम**

1. ग्राम पंचायत सोमरवालों का खेडा जरिये सरपंच श्री ..... ग्राम पंचायत सोमरवालों का खेडा पंचायत समिति राशमी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ ।
2. श्री लेहरू पिता देवा बैरवा निवासी परमेश्वरपुरा पोस्ट डिण्डोली पंचायत समिति राशमी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ ।

**गैर निगराकारान**

**–:: निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 विरूद्ध पटटा संख्या 22615 दिनांक 31.08.2005 ::–**

उपस्थिति :– श्री मोहनलाल रेगर, पंचायत प्रसार अधिकारी, राशमी — प्रतिनिधि निगराकार

एक तरफा — गैर निगराकारगण

| प्रकरण संख्या | दायर दिनांक | निर्णय दिनांक |
|---|---|---|
| 032/2015 (GCMS 2015/00058) | 21.08.2015 | 16.10.2020 |

**अनवान**

विकास अधिकारी, पंचायत समिति राशमी जिला चित्तौड़गढ़।

**निगराकार**

**बनाम**

1. ग्राम पंचायत सोमरवालों का खेडा जरिये सरपंच श्री ..... ग्राम पंचायत सोमरवालों का खेडा पंचायत समिति राशमी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ ।
2. श्री शंकरलाल पिता टेका बैरवा निवासी परमेश्वरपुरा पोस्ट डिण्डोली पंचायत समिति राशमी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ ।

**गैर निगराकारान**

**–:: निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 विरूद्ध पटटा संख्या 22612 दिनांक 31.08.2005 ::–**

उपस्थिति :– श्री मोहनलाल रेगर, पंचायत प्रसार अधिकारी, राशमी — प्रतिनिधि निगराकार

श्री भैरूलाल वैष्णव — गैर निगराकार संख्या 2

**–:: निर्णय ::–**

विकास अधिकारी राशमी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण संख्या 035/2015 अनवानी विकास अधिकारी राशमी बनाम ग्राम पंचायत

Signature Not Verified
Digitally Signed by Mukesh Kumar
Date: 2021.01.05 18:46:16 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सोमरवालों का खेडा वगैराह एवं प्रकरण संख्या 32/2015 अनवानी विकास अधिकारी राशमी वगैराह दोनो प्रकरण के तथ्य प्रकृति एवं अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक एक ही होने से दोना प्रकरणों में एक साथ ही बहस सुनी जाकर प्रकरणों का निस्तारण एक निर्णय से किया जाता है। प्रस्तुत निगरानी याचिका प्रकरण संख्या 035/2015 का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि निगराकार विकास अधिकारी राशमी ने निगरानी याचिका खिलाफ गैर निगराकारान के इस आशय का प्रस्तुत निवेदन किया कि प्रतिवादी ग्राम पंचायत सोमरवालों का खेडा पंचायत समिति राशमी द्वारा दिनांक 31.08.2005 को तत्कालीन सरपंच विपक्षी संख्या 2 को नियम 167(1) अन्तर्गत राशि 501/– रूपये अक्षरें पांच सौ एक रूपया मात्र से पट्टा शुल्क के जमा कर नियमों की अनदेखी करते हुये नियमों के विपरित पट्टा जारी किया गया। उक्त अवैधता के कारण राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत जारी पट्टा संख्या को निरस्त राजस्थान सम्पर्क पर दर्ज प्रकरण संख्या ..... दिनांक ..... से दर्ज श्री अर्जुनलाल पिता मादु जाट निवसी परमेश्वरपुरा एवं श्री शंकरलाल पिता किशन जाट निवासी डिण्डोली परमेश्वरपुरा ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थना पत्र अनुसार पालना निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। विपक्षी संख्या 1 द्वारा विपक्षी संख्या 2 श्री लेहरू पिता श्री देवा बैरवा निवासी परमेश्वरपुरा ग्राम पंचायत सोमरवालों का खेडा के हक में जारी किया गया पट्टा संख्या 126 जो निम्नलिखित पडौस के मध्य स्थित होकर 1350 वर्ग फीट 30गुणा 45 साईज जारी किया गया तथा कथित पट्टा विधि मान्य नियमों के विपरित होने से काबिल आपत्ति के है। पूर्व में सरकारी रास्ता परमेश्वरपुरा गांव में जाने का पश्चिम में शंकर पिता किशना जाट उत्तर में पडत सरकारी एवं दक्षिण में शंकर पिता टेका बैरवा है। ग्राम पंचायत सोमरवालों का खेडा के तत्कालीन सरपंच द्वारा विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में उपरोक्त पडौसान के मध्य स्थित भूमि आराजी संख्या 211 में जारी पट्टा संख्या ..... दिनांक 31.08.2005 को निरस्त किये जाने पंचायत प्रसार अधिकारी पंचायत समिति राशमी द्वारा की जांच कार्यवाही में उक्त पट्टे नियमों के विपरित है। अतः उक्त पट्टें को निरस्त किये जाने हेतु निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। उक्त निगरानी राजकीय प्रयोजनार्थ प्रस्तुत किये जाने से न्याय शुल्क से मुक्त रखी जाने हेतु निवेदन है। अतः उक्त तथ्यों के अनुसार ग्राम पंचायत सोमरवालों का खेडा पंचायत समिति राशमी द्वारा ग्राम परमेश्वरपुरा में अनियमितता कर राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 में अंकित प्रावधानों की अवहेलना कर पट्टा जारी किया गया है।

इस पर निगराकार की निगरानी याचिका को दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर निगराकारान को जरिये नोटिस के तलब किया गया। इस पर दिनांक 17.09.2015 को गैर निगराकार संख्या 2 की और से उनके अधिवक्ता हाजिर आये और अधिकार पत्र पेश किया। गैर निगराकार संख्या 2 की और से दिनांक 31.08.2016 को जवाब निगरानी पेश किया जाकर निवेदन किया गया कि निगरानी की चरण संख्या 1 में वर्णित तथ्या पट्टा जारी होना स्वीकार है एवं राशि लेना

Signature Not Verified
Digitally Signed by Mukesh Kumar
Date: 2021.01.05 18:46:16 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

भी स्वीकार है लेकिन ग्राम पंचायत सोमरवालों का खेडा ने गैर निगराकार लेहरू पिता टेकर को जारी किया गया पट्टा वैध है। ग्राम पंचायत ने अवैधानिक रूप से पट्टा जारी नहीं किया है। जबकि दिनांक 31.08.2005 गैर निगराकार के साथ कई व्यक्तियों को पट्टा जारी किया गया है तथा अुर्जन पिता माधो जाट निवासी परमेश्वरपुरा एवं शंकरलाल पिता किशनलाल जाट निवासी परमेश्वरपुरा के कहे अनुसार एवं राजनैतिक द्वैषता से विकास अधिकारी ने निगरानी प्रस्तुत की है जो निरस्त योग्य है। अर्जुनलाल व शंकरलाल भू माफिया होकर गरीब व्यक्तियों की भूमि हडपने के उद्देश्य से झूठी निगरानी दर्ज कराई जबकि इस आशय उक्त व्यक्तियों को आपत्ति होती तो आ न्यायालय में निगरानी पेश करते लेकिन गैर निगराकार लेहरू अनुसुचित जाति का होने से यह झूठी निगरानी आप न्यायालय में तथ्यहीन आधारों पर पेश की। चरण संख्या 2 में वर्णित तथ्य पट्टा की लम्बाई व पट्टा संख्या एवं अंकित पडौस सही होने से स्वीकार है एवं बाकि तथ्य अस्वीकार है। ग्राम पंचायत सोमरवालों का खेडा के तत्कालीन सरपंच उक्त पडौसियों से भूमि की मांग की है। पट्टे पर किसी प्रकार की आराजी अंकित नहीं कर रखी है इसलिये विकास अधिकारी पंचायत समिति राशमी से ही अनुमोदित कराकर पट्टा जारी किया गया है। उक्त भूमि की पूर्व में जॉच होकर पट्टे जारी किये गये है तथा परमेश्वरपुरा में विद्यालय का निर्माण हुआ था उस समय लेहरू पिता टेका ने अपना मकान व बाडा विद्यालय को सिपुर्द किया था उसी के एवज में पुर्नस्थापना हेतु पट्टे जारी किये गये जो पूर्णरूप से विधि पूर्वक केवल मात्र अर्जुन पिता माधु जाट व शंकर पिता किशना जाट के दबाव में आकर बिना किसी तथ्य के आधार पर निगरानी पेश की है तथा उक्त निगरानी माननीय न्यायालय में चलने योग्य नहीं है। केवल मात्र विकास अधिकारी पंचायत समिति राशमी ने छपे छपे परफोर्मे में खाली स्थान पर नाम लिखकर निगरानी पेश कर दी है जो निरस्त योग्य है। अन्त में निगरानी निगराकार ने पट्टा निरस्त किया जाने का निवेदन किया है उसे निरस्त फरमाया जावें तथा गैर निगराकार लेहरू पिता टेकर का पट्टे को बहाल रखा जावें। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की पूर्णतः पालना करते हुए ऐसे अनुसुचित जाति के गरीब लोगों को पट्टा जारी किया गया है जिसने स्वयं का मकान व बाडा को विद्यालय निर्माण हेतु दिया तथा ग्राम पंचायत को भूमि दिये जाने की बदले में यह पट्टे जारी किये तथा इन्हे विस्थापित किया गया है। इसलिये न्यायहित में गैर निगराकार के हित में जारी किये गये पट्टे को निरस्त नहीं किया जावें एवं निगरानी विकास अधिकारी पंचायत समिति राशमी निरस्त फरमाई जावें। शंकरलाल पिता किशना जाट व लेहरू पिता धुला जाट के आराजी से लगता हुआ पट्टा जारी निम्न व्यक्तियों को किया है जिसमें लेहरू पिता देवा, शंकर पिता टेका, किशन पिता टेका, गैर निगराकार लेहरू स्वयं तथा उसके बाद शंकरलाल व लहरूलाल के कए पर जाने के रास्ते मांगु पिता नानु भील, परथु पिता खुमान भील को ग्राम पंचायत ने 30 बाई 45 के पट्टे जारी किये। उक्त पट्टों को शंकरलाल व लहरूलाल जबरन पट्टे से बेदखल करना चाहते है व खरीदना चाहते है। गैर निगराकार व अन्य व्यक्तियों ने मना

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Kumar
Date: 2021.01.05 18:46:16 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कर दिया। इसलिये विकास अधिकारी से शंकरलाल व लहरूलाल ने मिलकर झूठी निगरानी आप न्यायालय में पेश की है। निगरानी छपे छपे परफोर्मे में होने से केवल मात्र खाली स्थन में नाम अंकित करने से कानूनन विपरित होने से निरस्त होने योग्य है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि ग्राम पंचायत सोमरवालों का खेडा द्वारा जारी किये गये पट्टे को बहाल रखा जाकर निगराकार की निगरानी खारीज की जावे।

इसी प्रकार निगरानी याचिका प्रकरण संख्या 032/2015 का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है निगराकार विकास अधिकारी राशमी ने निगरानी याचिका खिलाफ गैर निगराकारान के इस आशय का प्रस्तुत निवेदन किया कि प्रतिवादी ग्राम पंचायत सोमरवालों का खेडा पंचायत समिति राशमी द्वारा दिनांक 31.08.2005 को तत्कालीन सरपंच विपक्षी संख्या 2 को नियम 167(1) अन्तर्गत राशि 501/– रूपये अक्षरें पांच सौ एक रूपया मात्र से पट्टा शुल्क के जमा कर नियमों की अनदेखी करते हुये नियमों के विपरित पट्टा जारी किया गया। उक्त अवैधता के कारण राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत जारी पट्टा संख्या को निरस्त राजस्थान सम्पर्क पर दर्ज प्रकरण संख्या ..... दिनांक ..... से दर्ज श्री अर्जुनलाल पिता मादु जाट निवसी परमेश्वरपुरा एवं श्री शंकरलाल पिता किशन जाट निवासी डिण्डोली परमेश्वरपुरा ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थना पत्र अनुसार पालना निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। विपक्षी संख्या 1 द्वारा विपक्षी संख्या 2 श्री शंकरलाल पिता श्री टेका बैरवा निवासी परमेश्वरपुरा ग्राम पंचायत सोमरवालों का खेडा के हक में जारी किया गया पट्टा संख्या 22612 जो निम्नलिखित पडौस के मध्य स्थित होकर 1350 वर्ग फीट 30 गुणा 45 साईज जारी किया गया तथा कथित पट्टा विधि मान्य नियमों के विपरित होने से काबिल आपत्ति के है। पूर्व में आम रास्ता गांव का पश्चिम में लेहरू पिता धुला जाट उत्तर में लेहरू पिता देवा बैरवा एवं दक्षिण में शंकर पिता टेका बैरवा है। ग्राम पंचायत सोमरवालों का खेडा के तत्कालीन सरपंच द्वारा विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में उपरोक्त पडौसान के मध्य स्थित भूमि आराजी संख्या 211 में जारी पट्टा संख्या 22612 दिनांक 31.08.2005 को निरस्त किये जाने पंचायत प्रसार अधिकारी पंचायत समिति राशमी द्वारा की जांच कार्यवाही में उक्त पट्टे नियमों के विपरित है। अतः उक्त पट्टें को निरस्त किये जाने हेतु निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। उक्त निगरानी राजकीय प्रयोजनार्थ प्रस्तुत किये जाने से न्याय शुल्क से मुक्त रखी जाने हेतु निवेदन है। अतः उक्त तथ्यों के अनुसार ग्राम पंचायत सोमरवालों का खेडा पंचायत समिति राशमी द्वारा ग्राम परमेश्वरपुरा में अनियमितता कर राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 में अंकित प्रावधानों की अवहेलना कर पट्टा जारी किया गया है।

इस पर निगराकार की निगरानी याचिका को दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर निगराकारान को जरिये नोटिस के तलब किया गया। इस पर दिनांक 17.09.2015 को गैर निगराकार संख्या 2 की और से उनके अधिवक्ता हाजिर आये और अधिकार पत्र पेश किया। गैर निगराकार संख्या 2 की ओर से दिनांक 31.08.2016 को जवाब निगरानी पेश किया जाकर निवेदन किया गया कि निगरानी की चरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Kumar
Date: 2021.01.05 18:46:16 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

संख्या 1 में वर्णित तथ्या पट्टा जारी होना स्वीकार है एवं राशि लेना भी स्वीकार है लेकिन ग्राम पंचायत सोमरवालों का खेडा ने गैर निगराकार लेहरू पिता टेकर को जारी किया गया पट्टा वैध है। ग्राम पंचायत ने अवैधानिक रूप से पट्टा जारी नहीं किया है। जबकि दिनांक 31.08.2005 गैर निगराकार के साथ कई व्यक्तियों को पट्टा जारी किया गया है तथा अुर्जन पिता माधो जाट निवासी परमेश्वरपुरा एवं शंकरलाल पिता किशनलाल जाट निवासी परमेश्वरपुरा के कहे अनुसार एवं राजनैतिक द्वैषता से विकास अधिकारी ने निगरानी प्रस्तुत की है जो निरस्त योग्य है। अर्जुनलाल व शंकरलाल भू माफिया होकर गरीब व्यक्तियों की भूमि हडपने के उद्देश्य से झूठी निगरानी दर्ज कराई जबकि इस आशय उक्त व्यक्तियों को आपत्ति होती तो आ न्यायालय में निगरानी पेश करते लेकिन गैर निगराकार लेहरू अनुसुचित जाति का होने से यह झूठी निगरानी आप न्यायालय में तथ्यहीन आधारों पर पेश की। चरण संख्या 2 में वर्णित तथ्य पट्टा की लम्बाई व पट्टा संख्या एवं अंकित पडौस सही होने से स्वीकार है एवं बाकि तथ्य अस्वीकार हैं। ग्राम पंचायत सोमरवालों का खेडा के तत्कालीन सरपंच उक्त पडौसियों से भूमि की मांग की हैं। पट्टे पर किसी प्रकार की आराजी अंकित नहीं कर रखी है इसलिये विकास अधिकारी पंचायत समिति राशमी से ही अनुमोदित कराकर पट्टा जारी किया गया है। उक्त भूमि की पूर्व में जॉच होकर पट्टे जारी किये गये है तथा परमेश्वरपुरा में विद्यालय का निर्माण हुआ था उस समय लेहरू पिता टेका ने अपना मकान व बाडा विद्यालय को सिपुर्द किया था उसी के एवज में पुर्नस्थापना हेतु पट्टे जारी किये गये जो पूर्णरूप से विधि पूर्वक केवल मात्र अर्जुन पिता माधु जाट व शंकर पिता किशना जाट के दबाव में आकर बिना किसी तथ्य के आधार पर निगरानी पेश की है तथा उक्त निगरानी माननीय न्यायालय में चलने योग्य नहीं है। केवल मात्र विकास अधिकारी पंचायत समिति राशमी ने छपे छपे परफोर्मे में खाली स्थान पर नाम लिखकर निगरानी पेश कर दी है जो निरस्त योग्य है। अन्त में निगरानी निगराकार ने पट्टा निरस्त किया जाने का निवेदन किया है उसे निरस्त फरमाया जावें तथा गैर निगराकार लेहरू पिता टेकर का पट्टे को बहाल रखा जावें। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की पूर्णतः पालना करते हुए ऐसे अनुसुचित जाति के गरीब लोगों को पट्टा जारी किया गया है जिसने स्वयं का मकान व बाडा को विद्यालय निर्माण हेतु दिया तथा ग्राम पंचायत को भूमि दिये जाने की बदले में यह पट्टे जारी किये तथा इन्हे विस्थापित किया गया है। इसलिये न्यायहित में गैर निगराकार के हित में जारी किये गये पट्टे को निरस्त नहीं किया जावें एवं निगरानी विकास अधिकारी पंचायत समिति राशमी निरस्त फरमाई जावें। शंकरलाल पिता किशना जाट व लेहरू पिता धुला जाट के आराजी से लगता हुआ पट्टा जारी निम्न व्यक्तियों को किया है जिसमें लेहरू पिता देवा, शंकर पिता टेका, किशन पिता टेका, गैर निगराकार लेहरू स्वयं तथा उसके बाद शंकरलाल व लहरूलाल के कुए पर जाने के रास्ते मांगु पिता नानु भील, परथु पिता खुमान भील को ग्राम पंचायत [illegible] बाई 45 के पट्टे जारी किये। उक्त पट्टों को शंकरलाल व [illegible] जबरन पट्टे से बेदखल करना

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Kumar
Date: 2021.01.05 18:46:16 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

चाहते है व खरीदना चाहते है। गैर निगराकार व अन्य व्यक्तियों ने मना कर दिया। इसलिये विकास अधिकारी से शंकरलाल व लहरूलाल ने मिलकर झूठी निगरानी आप न्यायालय में पेश की है। निगरानी छपे छपे परफोर्मे में होने से केवल मात्र खाली स्थन में नाम अंकित करने से कानूनन विपरित होने से निरस्त होने योग्य है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि ग्राम पंचायत सोमरवालों का खेडा द्वारा जारी किये गये पट्टे को बहाल रखा जाकर निगराकार की निगरानी खारीज की जावे।

दिनांक 19.11.2015 को ग्राम पंचायत सोमरवालों का खेडा के पत्रांक/ग्रापं./2015–16/05 दिनांक 19.11.2015 द्वारा ग्राम पंचायत का अभिलेख भिजवाया गया जो कि पत्रावली के हम किता है। ग्राम पंचायत सोमरवालों का खेडा द्वारा संदर्भित पत्र से अवगत कराया गया कि ग्राम सभा रजिस्टर/पत्रावली/रसीद बुक/पट्टा बुक आदि रेकार्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं होने से प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं है, इसके साथ ही ग्राम पंचायत सोमरवालों का खेडा द्वारा पंचायत की रोकड बही वर्ष 2005–06 प्रस्तुत की गई है जो पत्रालवी के हम किता है।

दिनांक 16.10.2020 को उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली को सुना गया। विकास अधिकारी पंचायत समिति राशमी प्रतिनिधि पंचायत प्रसारी अधिकारी द्वारा अपनी बहस में निगरानी याचिका में वर्णित तथ्यों को दोहराया बताया की पंचायत प्रसार अधिकारी पंचायत समिति राशमी द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन का अवलोकन कराया एवं निवेदन किया कि प्लॉट रोड सेंटर से 25 फीट दूर होना जरूरी है परन्तु प्लॉट रोड की नालियों से सटे हुए है। पट्टाधारियों को पट्टा साईज 30 गुणा 45 फीट के जारी किये गय है परन्तु मौका पर उपरोक्तानुसार कम जगह पर कब्जा है। उक्त प्लॉट राजस्व रेकार्ड में आराजी संख्या 211 रकबा 32–10 बीघा किस्म चरागााह दर्ज है। ग्राम पंचायत को नियमानुसार चारागाह भूमि में पट्टे जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा जो पट्टे जारी किये गये जिनके संबंध में रेकार्ड संधारित किया गया जो नियमानुसार नहीं होकर तथा अपूर्ण होकर केवल केशबुक में प्रार्थीयों के नाम राशि जमा हुई जो नियमानुसार नहीं है। तहसीलदार राशमी द्वज्ञरा पत्रांक/राजस्व/ 2014/320 दिनांक 12.09.2014 की रिपोर्ट अनुसार उक्त पट्टों की निगरानी दर्ज करवाई जाने हेतु सिफारिश की गई है। निगराकार प्रतिनिधि द्वारा उक्त पत्रों का अवलोकन कराया गया जो कि शामिल पत्रावली है। यह सरकारी भूमि किस्म चरागाह रेवेन्यू रेकार्ड में दर्ज है तो किसी भांति ग्राम पंचायत द्वारा उस भूमि में से भूखण्ड आवंटन नही किया जा सकता है। इसके साथ ही निगराकार प्रतिनिधि द्वारा ग्राम पंचायत अभिलेख का अवलोकन कराया गया जिसमें केवल रोकड बही रिकार्ड पर है एवं अन्य किसी भी प्रकार का रिकार्ड ग्राम पंचायत सोमरवालों का खेडा में उपलब्ध नहीं होने का तथ्य ग्राम पंचायत सोमरवालों का खेडा ने प्रस्तुत किया गया है जो कि रिकार्ड पर है। जिससे स्पष्ट है कि यह कार्यवाही फर्जी रूप से की गई है। उक्त जारी पट्टे विधि अनुसार नहीं है। इसके साथ ही निगराकार प्रतिनिधि ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Kumar
Date: 2021.01.05 18:46:16 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी पट्टों को निरस्त किये जाने की ईश्तदुआ के साथ अपनी बहस समाप्त की।

इस पर विद्वान अधिवक्ता गैर निगराकार ने जवाब निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि ग्राम पंचायत सोमरवालों का खेडा ने गैर निगराकारान को जारी किया गया पट्टे वैध है। ग्राम पंचायत ने अवैधानिक रूप से पट्टा जारी नहीं किया है। जबकि दिनांक 31.08.2005 गैर निगराकार के साथ कई व्यक्तियों को पट्टा जारी किया गया है तथा अुर्जन पिता माधो जाट निवासी परमेश्वरपुरा एवं शंकरलाल पिता किशनलाल जाट निवासी परमेश्वरपुरा के कहे अनुसार एवं राजनैतिक द्वैषता से विकास अधिकारी ने निगरानी प्रस्तुत की है जो निरस्त योग्य है। अर्जुनलाल व शंकरलाल भू माफिया होकर गरीब व्यक्तियों की भूमि हडपने के उद्देश्य से झूठी निगरानी प्रस्तुत की गई है। उक्त पट्टे को बहाल रखाया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। अन्यथा इससे गैर निगराकारान को काफी रूपये की लागत बेकार हो जायेगी।उक्त पट्टों को शंकरलाल व लहरूलाल जबरन पट्टे से बेदखल करना चाहते है व खरीदना चाहते है। गैर निगराकार व अन्य व्यक्तियों ने मना कर दिया। इसलिये विकास अधिकारी से शंकरलाल व लहरूलाल ने मिलकर झूठी निगरानी आप न्यायालय में पेश की है। निगरानी छपे छपे परफोर्मे में होने से केवल मात्र खाली स्थन में नाम अंकित करने से कानूनन विपरित होने से निरस्त होने योग्य है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि ग्राम पंचायत सोमरवालों का खेडा द्वारा जारी किये गये पट्टे को बहाल रखा जाकर निगराकार की निगरानी खारीज की जावे इस ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता गैर निगराकारान ने अपनी बहस समाप्त की।

हमने निगरानी का आद्यौपांत अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेज का अवलोकन/परिशीलन कराया। हमने पत्रावली मूल पट्टा विलेख का अवलोकन किया। तथ्यों का गहनता पूर्वक परिशीलन किया गया। उभयपक्ष द्वारा की बहस का मनन किया। पर प्रस्तुत रेकार्ड का अध्ययन किया। मामले में प्रार्थी निगराकार द्वारा मुख्य रूप से यह आपत्ति की गई है कि विपक्षी को जो पट्टा जारी किया है ग्राम पंचायत को राजकीय चरागाह भूमि में पट्टा जारी करने कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। अपने कथन कि पुष्टि में प्रश्नगत भूमि के संबंध में तहसीलदार राशमी के पत्रांक/राजस्व/2014/320 दिनांक 12.09.2014 का अवलोकन कराया। नकल जमाबंदी मौजा परमेश्वरपुरा पटवार हल्का सोमरवालों का खेडा की संवत् 2069–2072 के खाता संख्या 74 का अवलोकन कराया जो कि विकास अधिकारी राशमी द्वारा सत्यापित प्रतिलिपि नक्शा ट्रेस, नकल जमाबन्दी संवत् 2069–2072 में आराजी संख्या 211 रकबा 27–10 बीघा किस्म चरागाह दर्ज है। इस प्रकार प्रस्तुत साक्ष्य में यह भली भांति सिद्ध है कि ग्राम पंचायत सोमरवालों का खेडा द्वारा विवादग्रस्त पट्टे राजकीय चरागाह भूमि खसरा आराजी संख्या 211 में जारी किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत किये गये अभिलेख में भी ऐसा कोई तथ्य उजागर नहीं होता है कि उक्त पट्टे विधि अनुसार किये गये है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ ग्राम पंचायत सोमरवालों का खेडा द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से

Signature Not Verified
Digitally Signed by Mukesh Kumar
Date: 2021.01.05 18:46:16 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

परे जाकर राजकीय चरागाह भूमि में पट्टे जारी किया जो निरस्त योग्य है।

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने से स्वीकार किया जाता है, एवं गैर निगराकारान को जारी पट्टा संख्या 22615 एवं 22612 दिनांक 31.08.2015 को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है। मूल निर्णय पत्रावली संख्या 035/2015 अनवानी विकास अधिकारी राशमी बनाम ग्राम पंचायत सोमरवालों का खेडा वगैराह में हम किता की जावें। निर्णय की प्रमाणित प्रति की प्रति पत्रावली संख्या 032/2015 अनवानी विकास अधिकारी राशमी बनाम ग्राम पंचायत सोमरवालों का खेडा में रखी जावें। निर्णय की प्रति विकास अधिकारी राशमी एवं ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत सोमरवालों का खेडा को भिजवाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख भिजवाया जावे। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **16.10.2020** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कलाल)
अतिरिक्त कलेक्टर,
(प्रशासन)चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Kumar
Date: 2021.01.05 18:46:16 IST
Reason: SelfAttested